

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन**

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक: 04-12-2017

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम  | आश्वासन का संक्षिप्त विषय   | आश्वासन का रूप  | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)   | (3)   | (4)   | (5)                         | (6)                       |
| 1693            | तारांकित प्रश्न सं.11<br>(प्रश्न क्रं.811)<br>दि. 04-12-2017<br>(कुँवर विक्रम सिंह)                 | (1) कृषि उपज मंडी समिति कटनी के मंडी कर्मचारी एवं कटनी मंडी में पदस्थ रहे राज्य मंडी बोर्ड सेवा के कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निराकरण हेतु मा.मंत्री जी द्वारा सदन में दिए गए आश्वासन अनुरूप समय सीमा में पूर्ण कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।<br><br>(2) मंडी समिति के कर्मचारी श्री पाठक, श्री आर.पी. खम्पारिया एवं श्री मुकेश कुमार का तत्काल स्थानांतरण किये जाने के विरुद्ध साथ इनके विरुद्ध आरोप पत्र जारी न करने के लिए स्थापना प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाना। | (1) कृषि उपज मंडी समिति संवर्ग के जो 12 कर्मचारी हैं, हम उनकी विभागीय जांच को दो माह में पूरा कर लेंगे। जो मंडी बोर्ड के कर्मचारी हैं, इनकी संख्या 15 है, इसमें क्रमांक 1 से 4 इनके ऊपर 2015-16 से आरोप हैं, इनकी जांच को हम इसी माह पूरा कर लेंगे और शेष बाकी 11 के ऊपर 2017 के मामले हैं, इसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अतिशीघ्र हम इनके भी आरोपों की जांच को पूरा कर लेंगे। जैसे मैंने देखा कि 1 से 4 के विरुद्ध 2016 के और दो 2015 हैं, बाकी जुलाई 2017 के आरोप हैं। हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि इन जांचों को भी अविलंब पूरी किया जाए। हम इन जांचों को भी तीन महीने के अंदर पूरा कर देंगे।<br><br>(2) आज ही उनको हटा दिया जाएगा।<br><br>(3) मैं कठोर कार्यवाही करूंगा कहीं पर भी हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। |                             |                           |
| 1694            | तारांकित प्रश्न सं.24<br>(प्रश्न क्रं.2735)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री जितू पटवारी)                 | प्रदेश में भावांतर योजना अंतर्गत पंजीकृत किसानों द्वारा विक्रय की उपज की राशि का भुगतान किया जाना।  | दिनांक 16 से 31 अक्टूबर 2017 तक विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानों को भावांतर की राशि भुगतान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।   |                             |                           |
| 1695            | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.33<br>(प्रश्न क्रं.1040)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री जितेन्द्र गेहलोत) | रतलाम जिले के आलोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भुतेडा में मंडी में प्रयोगशाला भवन का संचालन शीघ्र पी.पी.पी मोड पर किया जाना।  | इन प्रयोगशाला भवन का संचालन पी.पी.पी. मोड पर किया जाना है।  |                             |                           |

| (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5) | (6) |
|------|--|--|--|-----|-----|
| 1696 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.59<br>(प्रश्न क्रं.1586)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री मेहरबान सिंह रावत) | कृषि उपज मण्डी समिति जौरा जिला मुरैना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वतत्वों का भुगतान शीघ्र किया जाना ।  | भुगतान कर दिया जावेगा ।  |     |     |
| 1697 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.80<br>(प्रश्न क्रं.1937)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्रीमती ऊषा चौधरी)      | जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को मा.उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिपालन में नियमितीकरण किये जाने की यथोचित कार्यवाही की जाना ।  | विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों का नियमितीकरण 354 की सूची से चतुर्थ श्रेणी के पदों पर किया जावे । उक्त निर्देश के साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण को निगरानी में रखा है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिपालन में अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ।                                 |     |     |
| 1698 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.128<br>(प्रश्न क्रं.2448)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री यादवेन्द्र सिंह)  | प्रश्न क्र. 3108 दिनांक 02.3.2017 के संदर्भ में कृषि उपज मंडी समिति कटनी के तत्कालीन सचिवों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना एवं मंडी समिति सेवा के संलिप्त पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाना ।   | जी हों । कृषि उपज मंडी समिति कटनी के तत्कालीन 16 सचिवों के विरुद्ध दायित्व निर्धारण की कार्यवाही प्रचलन में है । कृषि उपज मंडी समिति कटनी के मंडी समिति सेवा के संलिप्त पाये गये कर्मचारी श्री मुकेश राय ग्रेड-3, श्री आर.पी. खंपरिया, सहायक ग्रेड-3 एवं श्री सोमनाथ मंडी निरीक्षक कटनी के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलन में है । |     |     |
| 1699 | अतारांकित प्रश्न सं.33<br>(प्रश्न क्रं.1546)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री गोवर्धन उपाध्याय)            | कृषि उपज मण्डी समिति सिरोंज जिला विदिशा द्वारा दुकान आंवटन में की गई अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही ।   | अपर कलेक्टर विदिशा की अध्यक्षता में जांच दल गठित कर जांच करने के निर्देश दिये गये हैं । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी ।  |     |     |
| 1700 | अतारांकित प्रश्न सं.131<br>(प्रश्न क्रं.2621)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल)  | प्रश्न क्र. 1770, दिनांक 24.2.2016 एवं प्रश्न क्र. 1815, दिनांक 22.7.2016 के संदर्भ में श्री जे.आर.हेडाउ निलंबित उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कटनी के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार समय-सीमा पूर्ण कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना । | (1) विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है । कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं ।<br>(2) विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है । कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं ।   |     |     |
| 1701 | अतारांकित प्रश्न सं.161<br>(प्रश्न क्रं.2785)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री ओमकार सिंह मरकाम)           | किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति की जाना ।   | शेष पदों की भरती हेतु प्रस्ताव भेजने की कार्यवाही प्रचलन में है तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 767 पदों की कार्यवाही प्रचलन में है ।  |     |     |

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

जनसंपर्क विभाग

दिनांक: 04-12-2017

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम   | आश्वासन का संक्षिप्त विषय  | आश्वासन का रूप  | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)  | (3)  | (4)   | (5)                         | (6)                       |
| 1702            | अतारांकित प्रश्न सं.117<br>(प्रश्न क्र.2552)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री दिलीप सिंह शेखावत) | प्रश्न क्र. 1805 दिनांक 24.7.2017 के संदर्भ में उज्जैन जिले सहित प्रदेश में पत्रकारों को पुरूस्कृत किया जाना । | (1) तदनुसार कार्यवाही प्रचलित है ।<br>(2) तदनुसार शीघ्र । |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन**

जल संसाधन विभाग

दिनांक: 04-12-2017

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम  | आश्वासन का संक्षिप्त विषय   | आश्वासन का रूप  | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)   | (3)   | (4)   | (5)                         | (6)                       |
| 1703            | तारांकित प्रश्न सं.17<br>(प्रश्न क्रं.2442)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री अमर सिंह यादव)     | राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पालन में साध्य पाये गये तालाबों का शीघ्र डी.पी.आर. बनाया जाकर कार्य प्रारंभ किया जाना। | परीक्षणोपरांत मोतीपुरा खण्डारबेह तालाब, नाईहेडा तालाब, मदनपुरा तालाब एवं बोरदाश्री तालाब प्रथम दृष्टया साध्य पाये जाने से उनके सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कर डी.पी.आर. बनाने के निर्देश दिये गये हैं। |                             |                           |
| 1704            | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.18<br>(प्रश्न क्रं.500)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री मधु भगत) | अधूरी सातनारी परियोजना बुढिया गांव, बालाघाट की डी.पी.आर. का शीघ्र परीक्षण कराया जाकर कार्य प्रारंभ किया जाना।   | परियोजना की डी.पी.आर. प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षणाधीन है। डी.पी.आर. प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाना संभव होगा।   |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन**

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वासि विभाग

दिनांक: 04-12-2017

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम                                 | आश्वासन का संक्षिप्त विषय  | आश्वासन का रूप  | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| <b>1705</b>     | अतारंकित प्रश्न सं.92<br>(प्रश्न क्र.2389)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री के.पी. सिंह) | संचालनालय गैस राहत एवं पुनर्वासि कार्यालय एवं गैस राहत की चिकित्सा इकाइयों के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को 7वां वेतनमान का लाभ दिया जाना ।   | (1) शेष कार्यालय/चिकित्सालयों में कर्मचारियों को 7वां वेतनमान का लाभ दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।<br>(2) शेष 02 कर्मचारियों की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।<br>(3) शेष 01 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । |                             |                           |
| <b>1706</b>     | अतारंकित प्रश्न सं.93<br>(प्रश्न क्र.2390)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री के.पी. सिंह) | प्रश्न क्र. 230, दिनांक 22.2.2017 एवं प्रश्न क्र. 3170 दिनांक 02.03.2017 के संदर्भ में संचालक गैस राहत एवं पुनर्वासि को प्राप्त जांच प्रतिवेदन का समय-सीमा में परीक्षण किया जाकर परीक्षण निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना । | शिकायतों का परीक्षण की कार्यवाही समिति द्वारा किया जा रहा है। परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।   |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन**

लोक निर्माण विभाग

दिनांक: 04-12-2017

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम   | आश्वासन का संक्षिप्त विषय  | आश्वासन का रूप  | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)  | (3)  | (4)   | (5)                         | (6)                       |
| 1707            | तारांकित प्रश्न सं.1<br>(प्रश्न क्रं.1997)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री नथनशाह कवरेती)       | छिंदवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव अंतर्गत दमुआ से बेलनी ढाना के बीच लगभग 7-8 कि.मी. का निर्माण कार्य मा. लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा सदन में दिए आश्वासन अनुरूप समय-सीमा में पूर्ण किया जाना ।  | 6 माह तक हम इस सड़क को बना देंगे ।  |                             |                           |
| 1708            | तारांकित प्रश्न सं.3<br>(प्रश्न क्रं.2877)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल) | धार जिले के कुशी विधानसभा क्षेत्र में लो.नि.वि. की परियोजना क्रियान्वयन इकाई अंतर्गत निर्माणाधीन कार्य समय-सीमा में पूर्ण किये जाना ।  | आप निश्चित रूप से लिखकर दें हम उसमें तुरंत कार्यवाही करके माननीय विधायक जी को भी अवगत करायेंगे ।  |                             |                           |
| 1709            | तारांकित प्रश्न सं.5<br>(प्रश्न क्रं.1376)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री कमलेश्वर पटेल)       | सिंगरौली जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार के कि.मी. 124/2 नोआनाला पुल एवं उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन अॉफ डेनेज ब्रिज के कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी ठेकेदार को भुगतान न किये जाने की जांच एवं कार्यवाही ।    | चीफ इंजीनियर रीवा से इसकी जांच करायेंगे और उनको निर्देश कर रहे हैं कि वह जल्दी ही इसका निराकरण करें और यदि काम किया है तो सीधा भुगतान करें ।  |                             |                           |
| 1710            | तारांकित प्रश्न सं.6<br>(प्रश्न क्रं.176)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री जितेन्द्र गेहलोत)     | जिला रतलाम में परफारमेंस गारंटी अंतर्गत स्वीकृत सड़क गोंगापुर ताल मार्ग एवं नागेश्वर पार्श्वनाथ जैन तीर्थस्थल की सड़कों का निर्माण मरम्मत कार्य शीघ्र किया जाना ।  | (1) दूसरी समस्या जो माननीय सदस्य ने सड़कों की यहां पर की है उनको भी हम ठीक करायेंगे ।<br><br>(2) अतिशीघ्र ।   |                             |                           |
| 1711            | तारांकित प्रश्न सं.7<br>(प्रश्न क्रं.2595)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री नारायण सिंह पँवार)   | राजगढ़ जिले के ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12 अंतर्गत पीपल चौराहा से राजगढ़ मार्ग पर पुलिया का निर्माण किये जाने की समस्त औपचारिकता शीघ्र पूर्ण कराई जाकर स्वीकृति प्रदान की जाना । | उस पुलिया को मैंने देखा भी था, निरीक्षण किया था और कहा था कि यह पुलिया बनाई जायेगी क्योंकि बहुत अच्छी सड़क बन रही है । उस पुलिया के बारे में विधायक जी से कहना है कि उस पुलिया को हम बनायेंगे, उसमें लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत आयेगी । |                             |                           |

| (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5) | (6) |
|------|--|--|--|-----|-----|
| 1712 | तारांकित प्रश्न सं.9<br>(प्रश्न क्रं.2302)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री मुरलीधर पाटीदार)             | आगर नगर में मार्ग के दोनो और पानी निकासी हेतु नाली का निर्माण किया जाना ।  | (1) माननीय विधायक जी की चिंता वाजिब है । आप इस संबंध में पूरा परीक्षण कराकर पत्र लिख दें, हम उसे प्राथमिकता से लेने का प्रयास करेंगे । बाकी वहां पर बहुत अच्छी सड़क बनी है और आप जो पानी की निकासी की चिंता कर रहे हैं, उसका भी हम निराकरण करेंगे ।<br><br>(2) हम इसको प्राथमिकता देकर वहां नाली का निर्माण भी करवाएंगे और जो-जो भी कमी होगी, उसको भी पूरा करवा देंगे। |     |     |
| 1713 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.21<br>(प्रश्न क्रं.573)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री संजय शर्मा)       | श्री राजीव वैद्य उपयंत्री की वरिष्ठता निर्धारित की जाना ।  | हाँ । वर्तमान में प्रकरण परीक्षणाधीन है ।  |     |     |
| 1714 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.60<br>(प्रश्न क्रं.1595)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री अरूण भीमावद)     | जिला मुख्यालय शाजापुर व्हाया सलगांव-बिजाना से चोमा मार्ग का दोहरीकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव का परीक्षण आदि शीघ्र किया जाकर कार्य प्रारंभ किया जाना ।  | (1) जी हों ।<br><br>(2) विस्तृत प्राक्कलन राशि रु. 2950.08 लाख का प्रस्ताव मण्डल कार्यालय उज्जैन में परीक्षणाधीन है ।  |     |     |
| 1715 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.111<br>(प्रश्न क्रं.2338)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री सुखेन्द्र सिंह) | (1) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 3486 दिनांक 09.03.2017 एवं प्रश्न क्र. 1133 दिनांक 24 जुलाई 2017 के संदर्भ में मऊगंज घोघम पहुँच मार्ग को एम.डी.आर. मार्ग केटेगरी "बी" घोषित किया जाना ।<br><br>(2) मुरैठा से मझिगवां मार्ग को एम.डी.आर. घोषित किया जाकर उन्नयन किया जाना ।<br><br>(3) मऊगंज-बहेराडाबर भाग का उन्नयन किया जाना ।<br><br>(4) मऊगंज-पिपराही जड़कुड मार्ग चॉकघाट सोनौरी एवं लटियार हनुमना मार्ग का उन्नयन किया जाना । | (1) जी हों । कार्यवाही प्रचलन में है ।<br><br>(2) वर्तमान में म.प्र.स.वि.नि. के अंतर्गत मऊगंज-बहेराडाबर भाग के उन्नयन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य किया जा रहा है ।<br><br>(3) निविदा कार्यवाही प्रचलन में है ।<br><br>(4) कार्यवाही प्रचलन में है ।  |     |     |

| (1)  | (2)   | (3)  | (4)   | (5) | (6) |
|------|---|--|---|-----|-----|
| 1716 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.137<br>(प्रश्न क्रं.2535)<br>दि. 04-12-2017<br>(इन्जी. प्रदीप लारिया)   | मकरोनिया चौराहे से जीरो माइलस (सिटी लिंक) सागर रोड निर्माण किये जाने की स्वीकृति दी जाना ।   | स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।   |     |     |
| 1717 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.143<br>(प्रश्न क्रं.2587)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री लाखन सिंह यादव)    | ग्वालियर जिले के भीतरवार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जर्जर सड़कों का निर्माण किये जाने की कार्यवाही की जाना ।   | (1) पुनरीक्षित प्राक्कलन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।<br>(2) शेष मार्गों हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।   |     |     |
| 1718 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.144<br>(प्रश्न क्रं.2596)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री नारायण सिंह पँवार) | राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर सिटी में निर्माणाधीन सी.सी. सड़क मार्ग निर्माण में मार्ग पर स्थित अजनार नदी पर मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पालन में पुल की डी.पी.आर. शीघ्र तैयार कराई जाकर कार्य प्रारंभ किया जाना ।  | डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है ।  |     |     |
| 1719 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.176<br>(प्रश्न क्रं.2838)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री सचिन यादव)         | खरगोन जिले के कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बोरावा-मनगांव मार्ग के वेदा नदी पर पुल एवं टेमा बेहरामपुर-सुगर मार्ग के वेदा नदी पर पुल तथा भुलगांव-गोगावां/मार्ग के कुन्दा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने हेतु तैयार प्राक्कलन का परीक्षण शीघ्र किया जाकर स्वीकृति प्रदान की जाना । | प्राक्कलन परीक्षाधीन है ।   |     |     |
| 1720 | अतारांकित प्रश्न सं.3<br>(प्रश्न क्रं.357)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)           | भिण्ड से भुजपुरा मार्ग का निर्माण हेतु निविदा कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराई जाकर कार्य प्रारंभ किया जाना ।  | निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।  |     |     |
| 1721 | अतारांकित प्रश्न सं.25<br>(प्रश्न क्रं.1374)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्रीमती ममता मीना)                 | गुना जिले के अंतर्गत सांडखेड़ा-मझोला मार्ग की निविदाओं आमंत्रण/स्वीकृत में अनियमितता किये जाने की जांच में दोषी पाये गये सभी दोषियों के विरुद्ध समय-सीमा में कार्यवाही की जाना ।   | दोषियों के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है । कार्यवाही प्रचलन में होने से समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं । |     |     |
| 1722 | अतारांकित प्रश्न सं.39<br>(प्रश्न क्रं.1626)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्रीमती प्रतिभा सिंह)              | जबलपुर जिले के शहपुरा विकासखण्ड के सरस्वती घाट (नर्मदा नदी) पर मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पालन में पुल निर्माण संबंधी संपूर्ण कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाकर कार्य प्रारंभ किया जाना ।   | (1) जी हों ।<br>(2) वर्तमान में सामान्य संरचना का कार्य प्रक्रियाधीन है ।   |     |     |



| (1)  | (2)   | (3)  | (4)  | (5) | (6) |
|------|---|--|--|-----|-----|
| 1723 | अतारांकित प्रश्न सं.68<br>(प्रश्न क्रं.2234)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री विष्णु खत्री)   | भोपाल-बेरसिया मुख्य मार्ग स्थित गोलखेड़ी से निपानिया के निर्माण की स्वीकृति दी जाकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना ।  | जी हों । मजबूतीकरण हेतु स्वीकृति प्रक्रियाधीन है । |     |     |
| 1724 | अतारांकित प्रश्न सं.99<br>(प्रश्न क्रं.2413)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री जालम सिंह पटेल) | विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर अंतर्गत ग्राम गरगटा से नयाखेड़ा के बीच उमर नदी पर मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पालन में निविदा का शीघ्र परीक्षण किया जाकर निर्माण कार्य आरंभ किया जाना । | वर्तमान में निविदा परीक्षणाधीन है ।                |     |     |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन**

विधि और विधायी कार्य विभाग

दिनांक: 04-12-2017

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम   | आश्वासन का संक्षिप्त विषय  | आश्वासन का रूप  | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)  | (3)  | (4)   | (5)                         | (6)                       |
| 1725            | अतारंकित प्रश्न सं.61<br>(प्रश्न क्रं.2105)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री दिनेश कुमार अहिरवार)  | टीकमगढ़ जिले के अपर सत्र न्यायालय जातरा में शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति की जाना। | अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति प्रक्रियाधीन शीघ्र ही राज्य शासन द्वारा नियुक्ति कर दी जावेगी।   |                             |                           |
| 1726            | अतारंकित प्रश्न सं.108<br>(प्रश्न क्रं.2473)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री दुर्गालाल विजय)      | तहसील बड़ौदा, जिला श्योपुर में सिविल न्यायालय की स्थापना की जाना।                | तहसील बड़ौदा जिला श्योपुर में सिविल न्यायालय की स्थापना संबंधी मांग माननीय उच्च न्यायालय की प्रशासकीय कमेटी (एल.जे.एस.) के समक्ष रखे जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।   |                             |                           |
| 1727            | अतारंकित प्रश्न सं.115<br>(प्रश्न क्रं.2540)<br>दि. 04-12-2017<br>(एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार) | मुरैना जिले की अम्बाह तहसील में नोटरी की नियुक्ति की जाना।                       | (1) नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।<br>(2) जी हों।   |                             |                           |
| 1728            | अतारंकित प्रश्न सं.164<br>(प्रश्न क्रं.2817)<br>दि. 04-12-2017<br>(डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)    | रतलाम जिले की तहसील जावरा एवं पिपलौदा में नोटरी के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना। | (1) नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।<br>(2) सत्र न्यायाधीश से पैनल प्राप्त होते हैं, पैनल प्राप्त होने पर परीक्षण कर अनुमोदन उपरांत नस्ती उच्च स्तर पर अंकित की जाती है, नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन**

सहकारिता विभाग

दिनांक: 04-12-2017

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम   | आश्वासन का संक्षिप्त विषय   | आश्वासन का रूप   | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|---|--|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                         | (6)                       |
| 1729            | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.43<br>(प्रश्न क्रं.1302)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर) | मत्स्योद्योग सहकारी समिति सरकनपुर जिला टीकमगढ़ की महिला अध्यक्ष को पुनः अध्यक्ष पद पर कार्य करने के आदेश जारी किया जाना एवं नियम विरुद्ध कार्यवाही वाले उपायुक्त के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।                     | जी हों। कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया गया है।  |                             |                           |
| 1730            | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.95<br>(प्रश्न क्रं.2223)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्रीमती शीला त्यागी)              | अल्प आय वर्ग सोसायटी रीवा द्वारा नियम विरुद्ध प्लेट आंवटन किये जाने सहित अन्य संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।                        | प्राप्त शिकायत की जांच हेतु जांच दल गठित किया गया है, जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, जांच निष्कर्षानुसार दोषियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। |                             |                           |
| 1731            | अतारांकित प्रश्न सं.22<br>(प्रश्न क्रं.1218)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे)                  | भिण्ड जिले की सहकारी संस्थाओं में नियम विरुद्ध नियुक्तियां किये जाने के लिए दोषी उपायुक्त सहकारिता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।   | जी हों।  |                             |                           |
| 1732            | अतारांकित प्रश्न सं.23<br>(प्रश्न क्रं.1219)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे)                  | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भिण्ड के सजायाफ्ता कर्मचारी श्री चन्द्रपाल सिंह भदौरिया को बैंक कर्मचारी सेवा नियम के विरुद्ध सेवा में रखे जाने पर श्री भदौरिया एवं महाप्रबंधक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना। | श्री भदौरिया को जारी नोटिस को स्थगित करने के संबंध में उपायुक्त सहकारिता, जिला भिण्ड के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।   |                             |                           |
| 1733            | अतारांकित प्रश्न सं.53<br>(प्रश्न क्रं.1914)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री राजेश सोनकर)                           | सहकारिता विभाग इंदौर की हाउसिंग सोसायटियों में व्याप्त अनियमितता आदि की प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।   | जांच प्रक्रियाधीन है।  |                             |                           |
| 1734            | अतारांकित प्रश्न सं.63<br>(प्रश्न क्रं.2134)<br>दि. 04-12-2017<br>(श्री योगेन्द्र सिंह)                        | म.प्र. राज्य तिलहन संघ की संपत्तियों का मूल्यांकन करने की कार्यवाही समय-सीमा में किया जाना।   | संपत्तियों के मूल्यांकन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।  |                             |                           |